महत्वपूर्ण

संख्या :–778 / पन्द्रह–1–2023

प्रेषक,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊः** **दिनांकः ३० मई, 2023**

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण हेतु सांसद निधि का प्रमुखता से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में माध्यमिक शिक्षा हेतु लिये गये संकल्प की पूर्ति के लिये माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

2– उल्लेखनीय है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विद्यालय संकुल व्यवस्था की संस्तुति की गयी है जिसमें यह भी उल्लेख है कि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, खेल उपकरण आदि पर्याप्त भौतिक संसाधन हो एवं उनका कुशल एवं प्रभावी प्रबन्धन कर उक्त व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

3– यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा–निर्देश" दिनांक 01.04.2023 जारी किये गये हैं। उक्त दिशा–निर्देश के अध्याय 5 एमपीलैड्स के तहत अनुमत कार्य अन्तर्गत प्रस्तर **5.1.4.3 शिक्षा** को अनुमत किया गया है। प्रस्तर **5.1.5** में उल्लेख किया गया है कि **प्रस्तर 5.1.4** में सूचीबद्ध किये गए उद्देश्यों के अतिरिक्त एमपीलैड्स के अन्तर्गत संचालित किए जा सकने वाले कार्यो की एक निर्देशात्मक सांकेतिक सूची **अनुबंध–VIII** में दी गई है, तथापि यह सूची पूर्ण नही है और इसमें संसद सदस्य की अनुशंसाओं पर नए कार्य केवल तभी जोड़े जा सकते हैं, जब वे उपर्युक्त उल्लिखित योजना के समग्र सिद्धान्तों के अनुरूप हो। उक्त दिशा–निर्देश के निर्देशात्मक सांकेतिक सूची अनुबंध–VIII में शिक्षा हेतु अनुमन्य मुख्य कार्यो का विवरण निम्नवत् तालिका में प्रस्तुत हैः–

अनुमत कार्यो की सांकेतिक सूची
शिक्षा–(3.1). स्कूल और कॉलेजो में कमरों और हॉल का निर्माण, (3.2). शौचालय ब्लॉकों का निर्माण, (3.3). शैक्षिक उद्देश्यो के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित आईटी सिस्टम की खरीद, (3.4). स्मार्ट बोर्ड, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रोजेक्टर की खरीद, (3.5). प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद, (3.6). प्रयोगशालाओं की स्थापना (3.7). रसोई और पेंट्री की स्थापना, (3.8). स्कूल वैन और बसों की खरीद (चार और तिपहिया वाहन), (3.9). शैक्षिक उद्देश्यों के लिए फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद, (3.10). खेल के मैदान का विकास, (3.11). खेल उपकरणों की खरीद, (3.12). सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनिरेटर की खरीद, (3.13). मोबाइल पुस्तकालयों के लिए वाहनों की खरीद, (3.14). पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद

4– यह आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की जानकारी तथा आवश्यकताओं का आंकलन (गैप एनालिसिस) कर प्राथमिकताओं का निर्धारण करने हुए विलम्बतम अगले 02 वर्षो में सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को इकाई मानते हुए समस्त आवश्यक भौतिक अवस्थापनाओं का संतृप्तीकरण कर लिया जाय। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–481/पन्द्रह–1–2023–33(2)/2021 दिनांक 31.03.2023 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने तथा शासनादेश संख्या–507/पन्द्रह–2–2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा विद्यालयों में अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यो का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण निम्नवत् है:–

4.1 वृहत निर्माण/पुर्ननिर्माण/जीर्णोद्धार, विस्तार	
(4.1.1)	• स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा । • बालक/बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय ब्लाक्स की स्थापना। • अतिरिक्त कक्ष–कक्षायें (वर्तमान कितने कक्ष हैं तथा नवीन कक्ष निर्माण का औचित्य)। • प्रयोगशाला • खेल का मैदान/बैडमिन्टन व वॉलीवाल कोर्ट/ओपन जिम • बाउण्ड्रीवाल/गेट का निर्माण • मल्टीपरपज हॉल • साइकिल स्टैण्ड • स्मार्ट क्लास • पुस्तकालय कक्ष • सोलर प्लान्ट की स्थापना • रेनवाटर हार्वेस्टिंग • बालक मूत्रालय • बालिका मूत्रालय • दिव्यांग शौचालय • ग्रुप हैण्ड वाशिंग यूनिट • टायलीकरण (मूत्रालय, शौचालय एवं समस्त–कक्ष) • प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या कक्ष एवं स्टाफ रूम • सतत नल जल आपूर्ति के साथ रसोईघर
उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय विशिष्ट आवश्यकता–आधारित एवं अन्य लोक उपयोगी कार्य	
4.2 अनुरक्षण एवं अन्य शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु सुविधाएं	
(4.2.1)	• दीवार, छत एवं फर्श की मरम्मत का कार्य • खिड़की, दरवाजों की मरम्मत का कार्य • रंगाई, पुताई का कार्य • शौचालय, पेयजल से सम्बन्धित मरम्मत का कार्य • बाउण्ड्रीवाल एवं गेट की मरम्मत का कार्य • दिव्यांग रैम्प की मरम्मत का कार्य • विद्युत् संयोजन एवं आपूर्ति

	• सुरक्षित आतंरिक विद्युत वायरिंग एवं लाइट–पंखे • फर्नीचर • ओवरहेड टैंक के साथ सतत नल जल आपूर्ति • ब्लैक/वाइट/ग्रीन बोर्ड • सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सिनिरेटर • वॉइस् रिकॉर्डर के साथ सी.सी.टी.वी कैमरा • वाई–फाई की सुविधा
उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय विशिष्ट आवश्यकता–आधारित एवं अन्य लोक उपयोगी कार्य	

5– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उक्त "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा–निर्देश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा–निर्देश अन्तर्गत अनुमन्य कार्यो पर प्रमुखता से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में उपयोगिता अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6– यह आदेश नियोजन विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–778(1)/पन्द्रह–1–2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4– शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश।
5– राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– संयुक्त शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
8– जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या :– 778 /पन्द्रह–1–2023

प्रेषक,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊ:** **दिनांक: 30 मई, 2023**

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण हेतु सांसद निधि का प्रमुखता से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में माध्यमिक शिक्षा हेतु लिये गये संकल्प की पूर्ति के लिये माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

2– उल्लेखनीय है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विद्यालय संकुल व्यवस्था की संस्तुति की गयी है जिसमें यह भी उल्लेख है कि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, खेल उपकरण आदि पर्याप्त भौतिक संसाधन हो एवं उनका कुशल एवं प्रभावी प्रबन्धन कर उक्त व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

3– यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा–निर्देश" दिनांक 01.04.2023 जारी किये गये हैं। उक्त दिशा–निर्देश के अध्याय 5 एमपीलैड्स के तहत अनुमत कार्य अन्तर्गत प्रस्तर **5.1.4.3 शिक्षा** को अनुमत किया गया है। प्रस्तर **5.1.5** में उल्लेख किया गया है कि **प्रस्तर 5.1.4** में सूचीबद्ध किये गए उद्देश्यों के अतिरिक्त एमपीलैड्स के अन्तर्गत संचालित किए जा सकने वाले कार्यो की एक निर्देशात्मक सांकेतिक सूची **अनुबंध–VIII** में दी गई है, तथापि यह सूची पूर्ण नही है और इसमें संसद सदस्य की अनुशंसाओं पर नए कार्य केवल तभी जोड़े जा सकते हैं, जब वे उपर्युक्त उल्लिखित योजना के समग्र सिद्धान्तों के अनुरूप हो। उक्त दिशा–निर्देश के निर्देशात्मक सांकेतिक सूची अनुबंध–VIII में शिक्षा हेतु अनुमन्य मुख्य कार्यो का विवरण निम्नवत् तालिका में प्रस्तुत हैः–

अनुमत कार्यो की सांकेतिक सूची
शिक्षा–(3.1). स्कूल और कॉलेजो में कमरों और हॉल का निर्माण, (3.2). शौचालय ब्लॉकों का निर्माण, (3.3). शैक्षिक उद्देश्यो के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित आईटी सिस्टम की खरीद, (3.4). स्मार्ट बोर्ड, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रोजेक्टर की खरीद, (3.5). प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद, (3.6). प्रयोगशालाओं की स्थापना (3.7). रसोई और पेंट्री की स्थापना, (3. 8). स्कूल वैन और बसों की खरीद (चार और तिपहिया वाहन), (3.9). शैक्षिक उद्देश्यों के लिए फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद, (3.10). खेल के मैदान का विकास, (3.11). खेल उपकरणों की खरीद, (3.12). सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनिरेटर की खरीद, (3.13). मोबाइल पुस्तकालयों के लिए वाहनों की खरीद, (3.14). पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद

4– यह आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की जानकारी तथा आवश्यकताओं का आंकलन (गैप एनालिसिस) कर प्राथमिकताओं का निर्धारण करने हुए विलम्बतम अगले 02 वर्षो में सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को इकाई मानते हुए समस्त आवश्यक भौतिक अवस्थापनाओं का संतृप्तीकरण कर लिया जाय। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–481/पन्द्रह–1–2023–33(2)/2021 दिनांक 31.03.2023 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने तथा शासनादेश संख्या–507/पन्द्रह–2–2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा विद्यालयों में अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यो का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण निम्नवत् है:–

4.1 वृहत निर्माण/पुर्ननिर्माण/जीर्णोद्धार, विस्तार	
(4.1.1)	• स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा । • बालक/बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय ब्लाक्स की स्थापना। • अतिरिक्त कक्ष–कक्षायें (वर्तमान कितने कक्ष हैं तथा नवीन कक्ष निर्माण का औचित्य)। • प्रयोगशाला • खेल का मैदान/बैडमिन्टन व वॉलीवाल कोर्ट/ओपन जिम • बाउण्ड्रीवाल/गेट का निर्माण • मल्टीपरपज हॉल • साइकिल स्टैण्ड • स्मार्ट क्लास • पुस्तकालयं कक्ष • सोलर प्लान्ट की स्थापना • रेनवाटर हार्वेस्टिंग • बालक मूत्रालय • बालिका मूत्रालय • दिव्यांग शौचालय • ग्रुप हैण्ड वाशिंग यूनिट • टायलीकरण (मूत्रालय, शौचालय एवं समस्त–कक्ष) • प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या कक्ष एवं स्टाफ रूम • सतत नल जल आपूर्ति के साथ रसोईघर
उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय विशिष्ट आवश्यकता–आधारित एवं अन्य लोक उपयोगी कार्य	
4.2 अनुरक्षण एवं अन्य शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु सुविधाएं	
(4.2.1)	• दीवार, छत एवं फर्श की मरम्मत का कार्य • खिड़की, दरवाजों की मरम्मत का कार्य • रंगाई, पुताई का कार्य • शौचालय, पेयजल से सम्बन्धित मरम्मत का कार्य • बाउण्ड्रीवाल एवं गेट की मरम्मत का कार्य • दिव्यांग रैम्प की मरम्मत का कार्य • विद्युत् संयोजन एवं आपूर्ति

	• सुरक्षित आतंरिक विद्युत वायरिंग एवं लाइट–पंखे • फर्नीचर • ओवरहेड टैंक के साथ सतत नल जल आपूर्ति • ब्लैक/वाइट/ग्रीन बोर्ड • सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सिनिरेटर • वॉइस् रिकॉर्डर के साथ सी.सी.टी.वी कैमरा • वाई–फाई की सुविधा
उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय विशिष्ट आवश्यकता–आधारित एवं अन्य लोक उपयोगी कार्य	

5– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उक्त "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा–निर्देश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा–निर्देश अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों पर प्रमुखता से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में उपयोगिता अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6– यह आदेश नियोजन विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–778(1)/पन्द्रह–1–2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4– शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश।
5– राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– संयुक्त शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
8– जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।

COM-1 GO